HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12648/2025

Prashant Gurjar S/o Shree Mahendra Gurjar, Aged About 30 Years, Resident Of Premnagar Gandinagar Aburoad Dist Sirohi Rajasthan. (At Present In Judicial Custody At Aburoad Jail)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Arpit Surana
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

23/02/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–483 के अन्तर्गत **आबू रोड शहर, जिला सिरोही** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 229/2024,** अपराध अन्तर्गत धारा **353, 450, 302/34 भारतीय न्याय संहिता** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रशांत गुर्जर एवं सहअभियुक्त मुकेश व राहुल के खिलाफ महेन्द्र के साथ मारपीट करने उसकी हत्या कारित करने का आरोप है। उक्त मामले में सविता व भरत को चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया गया है, किंतु उक्त दोनों गवाह विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर चाकू की तीन–चार चोटें कारित होना पाया गया है, किंतु इस मामले में किसी भी मुलजिम से चाकू की बरामदगी नहीं की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रशांत गुर्जर के कब्जे से एक डंडा बरामद किया जाना बताया गया है।

सहअभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र लक्ष्मण लाल की जमानत याचिका संख्या 14135/2024, दिनांक 25.03.2025 को समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। उनका यह भी कथन है कि मामले में शिकायतकर्ता को घटना की सूचना देने वाला रामनाथ भी पक्षद्रोही घोषित हो गया है। इस प्रकार घटना के महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाहान पक्षद्रोही घोषित हो गए हैं। उन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 26.06.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा यह व्यक्त किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में आठ अन्य आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना पाया गया है। अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए तथा यह देखते हुए कि मामले में महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 26.06.2024 को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **प्रशांत गुर्जर पुत्र महेन्द्र गुर्जर** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 229/2024, पुलिस थाना आबू रोड शहर, जिला सिरोही** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **1,00,000/–रुपए (अक्षरे रुपये एक लाख मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र

तथा **50,000–50,000/– (अक्षरे रुपये पचास–पचास हजार मात्र)** की तस्दीकशुदा दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

17-Nitin Jagtiani/-